संख्या- /2026/ /001-2200-15-1-2025-Comp No 1852380

प्रेषक,

कृष्ण कुमार गुप्त
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 2026

विषय:- मा० मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ग्राम पंचायत-सुनवा, विकास खण्ड मवई, तहसील-रुदौली, जनपद-अयोध्या में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु कार्य पूर्ण कराने हेतु अवशेष किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में (वित्तीय वर्ष 2025-26)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-नियोजन/4087-95/मु0मं0घो0/2025-26, दिनांक 17 नवम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी घोषणान्तर्गत ग्राम पंचायत-सुनवा, विकास खण्ड-मवई, तहसील-रूदौली, जनपद-अयोध्या में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण कार्य हेतु अगली किश्त निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गए आगणन के सापेक्ष मूल्यांकित लागत रू0 470.82 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 08.01.2016, 28.11.2016, 27.02.2018 तथा दिनांक 30.07.2019 के माध्यम से क्रमश: रू0 117.50 लाख (प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 235 लाख के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि) रू0 153.32 लाख (द्वितीय किश्त), रू0 150.00 लाख (तृतीय किश्त) एवं रू0 50.00 लाख (चतुर्थ किश्त) इस प्रकार मूल्यांकित धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 470.82 लाख अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में नामित कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि रू0 638.87 लाख के उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन को परीक्षण/मूल्यांकन के पश्चात प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा रू0 618.63 लाख आंकलित किया गया है। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 25.10.2024 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 618.63 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। इस प्रकार प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष धनराशि रू0 147.81 लाख (रू0 618.63-470.82 लाख) शेष है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में अनुदान संख्या-72 "लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-04-राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना एवं निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणान्तर्गत ग्राम पंचायत-सुनवा, विकास खण्ड-मवई, तहसील-रूदौली, जनपद-अयोध्या में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण कार्य हेतु प्रश्नगत निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 618.63 लाख के सापेक्ष प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0 147.81 लाख (रू0 एक करोड़ सैतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) धनराशि आहरित कर पी०एल०ए० में नहीं रखी जाएगी।
(3) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जाएगा, जिस मद/कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(4) लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जाएगा।
(5) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जायेगा और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया जायेगा तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) प्रायोजना में कोई परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर के पुर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।
(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / शिक्षा निदेशक, माध्यमिक का होगा।
(9) प्रायोजनान्तर्गत वर्क डन कार्यों पर जी0एस0टी0 12 प्रतिशत एवं वर्क टू बी डन कार्यों पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य की गयी है। शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,47,81,000 (रुपये एक करोड़ सैंतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 072 **लेखा शीर्षक** 4202012020400 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों /राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना एवं निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by KRISHNA KUMAR GUPTA
Date: 19.01.2026 18:17:12

(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या- /2026/ /001-2200-15-1-2025-Comp No 1852380, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथमध(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद,
2- जिलाधिकारी, अयोध्या,
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या,
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अयोध्या,
5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, अयोध्या इकाई, अयोध्या।
7- वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय (मा०), उ०प्र०, प्रयागराज,
8- उप शिक्षा निदेशक (शिविर) कार्यालय, शिक्षा निदेशालय, लखनऊ,
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11,
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।